मेसर कुट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

बनाम

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ी कॉर्पोरेट शाखा, लुधियाना और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 6016-6017 वर्ष 2019)

20 अगस्त 2019

[उदय उमेश ललित और विनीत सरन, न्यायमूर्ति]

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002: धारा 13(2) - सुरक्षा हित - सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में प्रवर्तन - माना गया: 'सुरक्षित ऋणदाता' केवल धारा 13(2) के तहत नोटिस में उल्लिखित 'सुरक्षित परिसंपत्तियों' के खिलाफ आगे बढ़ने का हकदार होगा - तथ्यों पर, ऋण निपटान में, देनदार ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 40 करोड़ रुपये केवल अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए जमा किए, जब उनके द्वारा एक संशोधित प्रस्ताव दिया गया था - जमा राशि प्रश्नगत ऋण की संतुष्टि के लिए नहीं थी और इसीलिए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जमा राशि को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा माना जाएगा - इस प्रकार, देनदार उक्त आदेश के अनुसार उनके द्वारा जमा की गई राशि वापस लेने का हकदार है - देनदार के दावे को किसी भी निर्देश से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पैसा बैंक के पास जमा रहेगा - इस प्रकार, देनदार द्वारा जमा की गई राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी।

अपीलों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा:-

1.1 वर्तमान मामले में 11.10.2017 को उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में 40 करोड़ रुपये की जमा राशि केवल अपीलकर्ताओं की प्रामाणिकता दिखाने के लिए थी जब उनके द्वारा एक संशोधित प्रस्ताव दिया गया था। यह जमा राशि प्रश्नगत ऋण की संतुष्टि के लिए नहीं थी और यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जमा राशि को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा माना जाएगा। [पैरा 11] [744-एच; 745-ए]

1.2 एक्सिस बैंक के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार 'सुरक्षित ऋणदाता' केवल 'सुरक्षित संपत्तियों' के खिलाफ आगे बढ़ने का हकदार होगा। वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस में उल्लेख किया गया है। निर्धारित कानून के आधार पर, दिनांक 11.10.2017 के उक्त आदेश के अनुसार अपीलकर्ता अपने द्वारा जमा की गई राशि वापस लेने के हकदार हैं। उनकी पात्रता स्थापित होने के बाद, अपीलकर्ताओं के दावे को किसी भी निर्देश से नकारा नहीं जा सकता है कि पैसा बैंक के पास जमा रहेगा। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश को अपास्त किया जाता है तथा अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सिविल विविध याचिका संख्या 5386 वर्ष 2018 को स्वीकार किया जाता है और दिनांक 11.10.2017 के आदेश के अनुसार अपीलकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशि, उस पर अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, के साथ दो सप्ताह के भीतर उन्हें वापस करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 11,12] [745-बी; डे]

एक्सिस बैंक बनाम एसबीएस ऑर्गेनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड (2016) 12 एससीसी 18: [2016] 2 एससीआर 920 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[2016] 2 एससीआर 920 पैरा9 को संदर्भित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6016-6017 वर्ष 2019

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के निर्णय और आदेश दिनांक 19.03.2019 के विरुद्ध सिविल विविध याचिका संख्या 4761 वर्ष 2018 और सिविल विविध याचिका संख्या 5386 वर्ष 2018 में सिविल विविध याचिका संख्या 2274 वर्ष 2017 में ।

पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, यशराज सिंह देवड़ा, सुश्री सोनल मशंकर (मैसर्स मित्तर एंड मित्तर कंपनी के लिए) अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

एस. गुरु कृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, पी.बी. सुरेश, विपिन नायर, पृथु गर्ग, कार्तिक जयशंकर, किशोर कुणाल, आलोक कुमार, सुश्री सौम्या यादव, सुश्री स्निग्धा सिंह, चिराग बब्बर, आशुतोष जैन, केतुल हंसराज, बालाजी श्रीनिवासन, पी.बी. सुरेश, कार्तिक जयशंकर उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित द्वारा सुनाया गया।

1. ये अपीलें सिविल विविध याचिका संख्या 4761 और 5386 वर्ष 2018 में सिविल रिट याचिका संख्या 2274 वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 19.03.2019 से उत्पन्न हुई हैं।

2. अपीलकर्ताओं और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच जिला शिमला में 24 मेगावाट की "कुट हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना" स्थापित करने के लिए 26.05.2008 को एक समझौता किया गया था। उक्त परियोजना को चालू करने के लिए, अपीलकर्ताओं ने पंजाब नेशनल बैंक (संक्षेप में 'बैंक'), कॉर्पोरेशन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संघ से ऋण लिया। 29.09.2015 को अपीलार्थी का खाता बैंक द्वारा एनपीए घोषित कर दिया गया। इसके बाद बैंक द्वारा 15.03.2017 को वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में "सरफेसी अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत एक मांग नोटिस जारी किया गया था। 14.03.2017 को बैंक को देय राशि 106,07,91,644.26/- रुपये बताई गई थी।

3. इसके तुरंत बाद, अपीलकर्ताओं द्वारा 27.06.2017, 01.08.2017 और 19.08.2017 को एकमुश्त निपटान ("ओटीएस", संक्षेप में) के लिए क्रमशः 84, 87 और 90 करोड़ रुपये की पेशकश करते हुए तीन प्रस्ताव दिए गए। 22.08.2017 को बैंक द्वारा प्रश्नगत परियोजना के संबंध में SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4) के तहत एक कब्ज़ा नोटिस जारी किया गया था। 29.08.2017 को एक बिक्री नोटिस जारी किया गया था जिसके अनुसार संबंधित संपत्तियों को 06.10.2017 को 120 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के साथ ई-नीलामी द्वारा बेचा जाना था।

4. तत्काल अपीलकर्ताओं द्वारा दूसरी अपील संख्या 481 वर्ष 2017 के तहत अंतरिम राहत की मांग करते हुए एक आवेदन ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश किया गया था, जिसे ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश दिनांक 06.10.2017 द्वारा खारिज कर दिया था। 06.10.2017 को ही, बैंक द्वारा ई-नीलामी आयोजित की गई थी जिसमें 2 प्रतिवादियों से 120,00,11,000/- रुपये की बोली प्राप्त हुई थी। इसने अपीलकर्ताओं को ओटीएस प्रस्ताव को 140 करोड़ रुपये तक संशोधित करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह की पेशकश 07.10.2017 को की गई थी और इसके बाद 10.10.2017 को उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 2274 वर्ष 2017 दायर की गई थी, जिसमें चुनौती दी गई थी (i) नोटिस दिनांक 15.03.2017 और 22.08.2017 (ii) बिक्री नोटिस दिनांक 29.03 .2017 और (iii) ट्रिब्यूनल द्वारा अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए दिनांक 06.10.2017 का आदेश पारित किया गया।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

5. मामला 11.10.2017 को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक सुनवाई के लिए आया और अपीलकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता अपनी प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए बैंक के साथ 140 करोड़ रुपये की राशि जमा करने के इच्छुक और तैयार थे। प्रस्तुतीकरण दर्ज किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किए गए:

"वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी.सी. नेगी का कहना है कि पार्टियों के संबंधित अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और रिट याचिका के परिणाम के अधीन, 'गैर-निष्पादित संपत्ति' के अनुसार? ऋण वसूली न्यायाधिकरण-(1) चंडीगढ़ याचिकाकर्ताओं का अनुरोध (अनुलग्नक पी-18) जो प्रमुख कंसोर्टियम बैंक के पास विचाराधीन है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि उनकी प्रामाणिकता याचिकाकर्ता अग्रणी कंसोर्टियम बैंक के साथ 140 करोड़ रुपये की राशि जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। (पंजाब नेशनल बैंक) निम्नलिखित तरीके से:-

(i) दिनांक 7 अक्टूबर, 2017 के संचार के साथ 3 करोड़ रुपये पहले ही जमा किए जा चुके हैं (अनुलग्नक पी-18);

(ii) 16 अक्टूबर, 2017 को या उससे पहले 15 करोड़ रुपये;

(iii) 1 नवंबर, 2017 को या उससे पहले 22 करोड़ रुपये

(iv) 11 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले 100 करोड़ रुपये।

हम उसे निर्देशित करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने बयान के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक के पास 140 करोड़ रुपये की राशि जमा करने के अधीन, उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, खासकर तब जब वे अभी भी संपत्ति के वास्तविक भौतिक कब्जे में हैं, जो तथ्य हमारे सामने विवादित नहीं है। साथ ही, ऐसी जमा राशि अगले आदेशों के अधीन होगी, जो न्यायालय द्वारा पारित की जा सकती है। बैंक में जमा राशि को इस न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा राशि माना जाएगा। इसके अलावा, बैंक याचिकाकर्ताओं के अनुरोध, दिनांक 7 अक्टूबर, 2017 (अनुलग्नक पी-18) पर निर्णय लेगा, जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय कुमार कहते हैं, आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर लिया जाएगा। हम आगे निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ताओं के वर्तमान याचिका में सफल होने और/या बैंक याचिकाकर्ताओं के अनुरोध से सहमत होने की स्थिति में, याचिकाकर्ता नीलामी के अनुसार पहले से जमा की गई राशि पर नीलामी बोली लगाने वाले को ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। हम यह भी निर्देश देते हैं कि अगले आदेश तक नीलामी क्रेता को शेष राशि जमा करना अनिवार्य नहीं होगा। हमने राज्य के अधिकारों और दावों के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है।"

6. 31.10.2017 को बैंक ने 140 करोड़ रुपये के संशोधित ओटीएस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी अपीलकर्ताओं द्वारा 140 करोड़ रुपये की राशि जमा करने से पहले ही। इसलिए, अपीलकर्ताओं ने सिविल विविध याचिका संख्या 9618 वर्ष 2017 दायर कर उपरोक्त आदेश दिनांक 11.10.2017 में संशोधन की मांग की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया कि 100 करोड़ रुपये की जमा राशि निपटान प्रस्ताव की मंजूरी के अधीन की जाएगी। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने दिनांक 11.10.2017 के आदेश में निर्धारित पहले तीन चरणों की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 40 करोड़ रुपये की राशि जमा की थी।

7. बैंक ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4898-4904 वर्ष 2018 दायर करके दिनांक 11.10.2017 के आदेश को चुनौती दी, अन्य बातों के साथ-

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

साथ यह प्रस्तुत करते हुए कि उच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अपीलकर्ताओं के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था। इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुतीकरण को स्वीकार कर लिया गया और विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4898-4904 वर्ष 2018 से उत्पन्न अपीलों का इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निपटारा किया गया:

"पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना। विलंब क्षमा किया गया. छुट्टी दी गई। प्रतिवादी 325,00,00,000/- रुपये (केवल तीन सौ पच्चीस करोड़ रुपये) और उससे अधिक का कर्जदार है। बैंक ने 150,00,000/- रुपये (केवल एक सौ पचास करोड़ रुपये) के एकमुश्त निपटान प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और जिसमें से ऋणी ने आज तक केवल रूपये 40,00,00,000/- (केवल चालीस करोड़ रूपये) जमा किये हैं। इस बीच गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी पहले ही हो चुकी है, लेकिन ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 06.10.2017 द्वारा कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी। प्रतिवादी संख्या 5, जो सबसे अधिक बोली लगाने वाला है, ने बोली राशि का 25% भुगतान किया है, जिसके बाद दिनांक 07.10.2017 को एक पत्र द्वारा बिक्री की पुष्टि की गई है। हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि 18.10.2017 को, 75% की शेष राशि का चेक प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन भुनाया नहीं गया, और यह 17.03.2018 को फिर से किया गया था। अधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और अन्य बनाम मैथ्यू केसी (2018) 3 एससीसी 85 में हममें से एक द्वारा दिए गए हालिया फैसले में। हमने रिट क्षेत्राधिकार में ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के प्रति आगाह किया है। दुर्भाग्य से वर्तमान मामले में ऐसी सावधानी पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों को रद्द करते हैं। उपरोक्त शर्तों के तहत अपीलें स्वीकार की जाती हैं। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।"

8. 22.05.2018 को बैंक ने उपरोक्त सिविल रिट याचिका संख्या 2274 वर्ष 2017 में सिविल विविध याचिका संख्या 4761 वर्ष 2018 दायर की, जिसमें दिनांक 11.10.2017 के आदेश के अनुसार अपीलकर्ताओं द्वारा बकाया राशि के विरुद्ध जमा की गई 40 करोड़ रुपये की राशि के विनियोग की मांग की गई। दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं द्वारा सिविल विविध याचिका संख्या 5386 वर्ष 2018 दिनांक 29.05.2018 को 40 करोड़ रुपये की उक्त राशि की वापसी के लिए रिट याचिका दायर की गई थी। इन आवेदनों को उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.03.2019 द्वारा निस्तारित कर दिया। प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा दी गई दलीलों का निपटारा किया गया और निम्नानुसार निर्देश पारित किए गए: -

"9. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी देर तक सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। जहां तक 40.00 करोड़ रुपये की राशि की वापसी के लिए कर्जदारों की प्रार्थना का सवाल है, हमें इसमें कोई दम नजर नहीं आता। यह ऐसा मामला नहीं है जहां बैंकों के संघ द्वारा निर्धारित संपूर्ण ऋण देनदारी, सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री आय के विनियोग पर संतुष्ट हो गई है। अग्रणी बैंक ने पहले ही 129.47 करोड़ रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर कर दिया है, जो डीआरटी के समक्ष लंबित है। जबकि उधारकर्ता/गारंटरों को डीआरटी के समक्ष बैंक के दावे को चुनौती देने का अधिकार है, लेकिन इस न्यायालय के लिए उन कार्यवाहियों के संभावित परिणाम पर टिप्पणी करना अत्यधिक समयपूर्व और अभिमानपूर्ण होगा।

10. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि बैंक के मुकदमे पर पूर्ण या आंशिक रूप से फैसला सुनाया जाता है, तो इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा की गई

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

40.00 करोड़ रुपये की राशि, फैसले की राशि में समायोजित/विनियोजित की जाएगी। हालाँकि, इस तरह के मुकदमे को खारिज करने की स्थिति में, इस निष्कर्ष के साथ कि उधारकर्ता या गारंटर अब किसी भी दायित्व के तहत नहीं हैं, उनके द्वारा जमा की गई राशि उन्हें वापस की जा सकती है। चूंकि इन सभी मुद्दों पर अभी डीआरटी द्वारा निर्णय लिया जाना बाकी है, इसलिए हमारा विचार है कि राशि की वापसी के लिए उधारकर्ता/गारंटरों द्वारा की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया जा सकता है और हम तदनुसार आदेश देते हैं।

11. दूसरी ओर, बैंक द्वारा की गई प्रार्थना इस हद तक स्वीकार की जानी चाहिए कि बैंक में जमा 40 करोड़ रुपये की राशि 'बिना किसी ग्रहणाधिकार के' डीआरटी के पास जमा कर दी जाए, जो बदले में है अधिकतम ब्याज दर प्राप्त करने के लिए इसे राष्ट्रीयकृत बैंक में रखने का निर्देश दिया गया। लीड बैंक (पंजाब नेशनल बैंक) द्वारा दायर मुकदमे का फैसला होने तक राशि एफडीआर में रहेगी। यदि मुकदमा डिक्री हो गया है और डिक्रीटल राशि 40.00 करोड़ रुपये या उस पर अर्जित ब्याज से अधिक है, तो डीआरटी को ऋण देयता के समायोजन के लिए उक्त राशि को पंजाब नेशनल बैंक के पक्ष में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाता है। मुकदमा खारिज होने की स्थिति में, उधारकर्ता/गारंटर डीआरटी से उक्त राशि की वापसी की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।''

9. उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 11.10.2017 के आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में 40 करोड़ रुपये जमा करना केवल अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए प्रस्ताव के समर्थन में उनकी प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए था। एक बार जब रिट याचिका को विचारणीय नहीं माना गया और अपीलकर्ताओं द्वारा की गई पेशकश को बैंक ने अस्वीकार कर दिया, तो जमा की गई राशि अपीलकर्ताओं को वापस कर दी जानी चाहिए। एक्सिस बैंक बनाम एसबीएस ऑर्गेनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया था। 7.. बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस गुरु कृष्ण कुमार ने हालांकि तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से उचित था। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि अपीलकर्ताओं का बकाया संपत्ति की बिक्री से प्राप्त मूल्य से कहीं अधिक था, उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों ने न केवल बैंक के हित को सुरक्षित किया, बल्कि सार्वजनिक हित को भी कम किया। उनके प्रस्तुतीकरण में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश एक्सिस बैंक में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप थे, क्योंकि उच्च न्यायालय ने बैंक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को पूरी तरह से अनुमति नहीं दी थी, लेकिन निर्देश दिया था कि राशि को बिना किसी ग्रहणाधिकार के जमा में रखा जाए। ।”

10. एक्सिस बैंक में जो सवाल विचार के लिए उठे वो थे क्या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'DRAT') के समक्ष SARFAESI अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील बनाए रखने के लिए धन जमा किया गया है? संबंधित बैंक को देय राशि में समायोजित किया जा सकता है और क्या संबंधित बैंक के पास जमा किए गए धन पर ग्रहणाधिकार है। संबंधित बैंक की दलीलें पैरा 4 में दर्ज की गईं, जिसमें 'सुरक्षित परिसंपत्ति', 'सुरक्षित ऋणदाता' शब्दों की परिभाषा शामिल है। 'सुरक्षित ऋण' और 'सुरक्षा हित' पैरा 9 से 12 में निर्धारित किए गए थे।

यह पैरा 14 में देखा गया कि सुरक्षित ऋणदाता SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस में उल्लिखित "केवल सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ" आगे बढ़ने का

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

हकदार था। सरफेसी अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में पूर्व-जमा की प्रकृति पर पैरा 21 में विचार किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि ऐसी जमा न तो 'सुरक्षित संपत्ति' थी। न ही कोई 'सुरक्षित ऋण' था और इन परिस्थितियों में, जमा राशि की वापसी के लिए प्रार्थना 32016) 12 एससीसी 18 की अनुमति दी जानी आवश्यक थी। इस न्यायालय ने इस दलील पर भी विचार किया कि संबंधित बैंक के पास अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 171 के अनुसार जमा राशि पर ग्रहणाधिकार था। प्रस्तुतीकरण अस्वीकार कर दिया गया। एक्सिस बैंक के मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 14, 21, 22 और 23 इस प्रकार थे:-

"14. उपरोक्त प्रावधानों के एक परिप्रेक्षय से पता चलता है कि SARFAESI अधिनियम की योजना के तहत। एक सुरक्षित ऋणदाता सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करके अपने सुरक्षित ऋण की वसूली के उद्देश्य से उधारकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने का हकदार है। यदि उधारकर्ता अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी देनदारी का पूरा भुगतान करने में विफल रहता है। अधिनियम की धारा 13(3) का आदेश है कि धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस में उधारकर्ता द्वारा देय राशि का विवरण होना चाहिए और धारा 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में सुरक्षित लेनदार द्वारा लागू की जाने वाली सुरक्षित संपत्ति भी। इस प्रकार, सुरक्षित ऋणदाता धारा 13(2) के तहत नोटिस में उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ ही आगे बढ़ने का हकदार है। हालाँकि, अधिनियम की धारा 13(11) के अनुसार, सुरक्षित ऋणदाता गारंटरों के खिलाफ पहले कार्रवाई करने या गिरवी रखी गई संपत्तियों को बेचने के लिए भी स्वतंत्र है। उद्धृत करने के लिए: "13. (11) इस धारा के तहत या इसके द्वारा सुरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सुरक्षित ऋणदाता गारंटरों के खिलाफ आगे बढ़ने या खंड (ए) से (डी) इस अधिनियम के तहत सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में उपधारा (4) के।

21. अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील केवल अधिनियम की धारा 17 के तहत डीआरटी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ स्वीकार्य है। धारा 17 के तहत, जांच का दायरा सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ धारा 13(4) के तहत उठाए गए कदमों तक सीमित है। अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में गुण-दोष के आधार पर अपील पर विचार करने की पूर्व शर्त के रूप में डीआरएटी के समक्ष आंशिक जमा, एक सुरक्षित संपत्ति नहीं है। यह एक सुरक्षित ऋण भी नहीं है, क्योंकि उधारकर्ता या पीड़ित व्यक्ति ने सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में इस तरह के पूर्व-जमा पर कोई सुरक्षा ब्याज नहीं बनाया है। यदि ऐसा है, तो अपील के निपटान पर, गुण-दोष के आधार पर या वापसी के आधार पर, या निष्फल हो जाने पर, यदि अपीलकर्ता पूर्व-जमा राशि की वापसी के लिए प्रार्थना करता है, तो उसे अनुमति दी जानी चाहिए और पूर्व- जमा को अपीलकर्ता को वापस करना होगा, जब तक कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुरक्षित लेनदार के अनुरोध पर, लेकिन जमाकर्ताओं की सहमति से, पहले से ही उधारकर्ता की देयता के लिए पूर्व-जमा को विनियोजित नहीं किया था, या सहमति के साथ, समायोजित नहीं किया था बकाया राशि की राशि, या यदि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 11 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(10) के तहत किसी भी कार्यवाही में पूर्व-जमा पर कोई कुर्की हो, या यदि कानून में ज्ञात किसी अन्य कार्यवाही में कोई कुर्की हो।

22. हम इस तर्क से भी सहमत नहीं हैं कि बैंक के पास अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 171 के संदर्भ में SARFAESI अधिनियम की धारा 18 के तहत किए गए पूर्व-जमा पर ग्रहणाधिकार है। सामान्य ग्रहणाधिकार पर अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 171, एक

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अलग संदर्भ में है: “171। बैंकरों, कारकों, घाटपालों, वकीलों और नीति-दलालों का सामान्य ग्रहणाधिकार- बैंकर, कारक, घाटपाल, उच्च न्यायालय के वकील और नीति-दलाल, इसके विपरीत अनुबंध की अनुपस्थिति में, खाते के सामान्य शेष के लिए सुरक्षा के रूप में, उनके लिए जमा किए गए किसी भी सामान को रख सकते हैं; लेकिन किसी भी अन्य व्यक्ति को इस तरह के शेष के लिए सुरक्षा के रूप में, उन्हें जमानत पर दिए गए माल को बनाए रखने का अधिकार नहीं है, जब तक कि इस आशय का कोई स्पष्ट अनुबंध न हो।

23. अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 171 खाते के सामान्य शेष के लिए सुरक्षा के माध्यम से बैंक को जमा किए गए माल को अपने पास रखने का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील पर विचार करने के उद्देश्य से उधारकर्ता द्वारा किया गया पूर्व-जमा बैंक के पास नहीं बल्कि ट्रिब्यूनल के पास है। जैसा कि अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 148 के तहत प्रदान किया गया है, यह बैंक के पास जमानत नहीं है। वैचारिक रूप से, यह जमाकर्ता के लिए उपलब्ध एक तर्क होना चाहिए, क्योंकि जमानतदार के निर्देशों के अनुसार उद्देश्य पूरा होने के बाद जमानत पर दिया गया माल वापस कर दिया जाना चाहिए या अन्यथा निपटान किया जाना चाहिए।

11. वर्तमान मामले में 11.10.2017 को उच्च न्यायालय के संदर्भ में 40 करोड़ रुपये की जमा राशि केवल अपीलकर्ताओं को दिखाने के लिए थी जब उनके द्वारा एक संशोधित प्रस्ताव दिया गया था। यह जमा राशि प्रश्नगत ऋण की संतुष्टि के लिए नहीं थी और यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जमा राशि को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा माना जाएगा। एक्सिस बैंक में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार 'सुरक्षित ऋणदाता' केवल SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस में उल्लिखित 'सुरक्षित संपत्तियों' के खिलाफ आगे बढ़ने का हकदार होगा। उस मामले में, जमा डीआरएटी के समक्ष अपील बनाए रखने के लिए किया गया था और यह विशेष रूप से माना गया था कि ऐसी जमा राशि का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि न तो 'सुरक्षित संपत्ति' थी। न ही कोई 'सुरक्षित ऋण' जिसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती थी और डीआरएटी के समक्ष अपीलकर्ता इस प्रकार जमा की गई राशि की वापसी का हकदार था। यह दलील कि बैंक के पास अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 171 के तहत ऐसी जमा राशि पर सामान्य ग्रहणाधिकार था, अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि पैसा बैंक के पास नहीं बल्कि डीआरएटी के पास था। मौजूदा मामले में भी, पैसा स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के पास माना जाना था। एक्सिस बैंक में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की ताकत पर, हमारे विचार में, अपीलकर्ता दिनांक 11.10.2017 के उक्त आदेश के अनुसार उनके द्वारा जमा की गई राशि को वापस लेने के हकदार हैं। उनकी पात्रता स्थापित होने के बाद, अपीलकर्ताओं के दावे को किसी भी निर्देश से नकारा नहीं जा सकता है कि पैसा बैंक के पास जमा रहेगा।

12. इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 19.03.2019 को रद्द करते हैं, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर सिविल विविध याचिका संख्या 5386 वर्ष 2018 को अनुमति देते हैं और निर्देश दें कि दिनांक 11.10.2017 के आदेश के अनुसार अपीलकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशि उन्हें ब्याज सहित, यदि कोई हो, दो सप्ताह के भीतर वापस कर दी जाए।

13. ये अपीलें उपरोक्त शर्तों के अनुसार स्वीकार की जाती हैं। कोई लागत नहीं।

निधि जैन अपील स्वीकृत।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"